

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 146

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगोत्री	खुशाल सिंह	1/9/1994	संगम विहार फेस-1, गैस गोदाम रोड़, कुसुमखेड़ा, पो0-हरिपुरनायक, थाना मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	OBC	GEN PM40	रा0प्रा0वि0 पडावगॉव, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4163-73

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरथता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ड.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 147

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	घयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रविन्द सिंह नेगी	आलम सिंह नेगी	15-12-1990	वार्ड पम्पापुरी, भूमिया मन्दिर के पास, पो०ओ० रामनगर, नैनीताल-244715	GEN	GEN PM40	रा०प्रा०वि० विद्या अकबर, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4174-84 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं-148

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डम्पी सिंह	इन्द्र सिंह	13-01-1998	मकान न0 2-389 तुलसी नगर, पौलीशीट, काठगोदाम नैनीताल-263136	GEN	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0ठाकुरनगर, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0 4485-95

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 149

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ज्योति सुयाल	सुरेश चन्द सुयाल	02.07.1997	सुयाल कालोनी, बरेली रोड, तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० घूमखेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं० / 4196-4204 प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 149

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ज्योति सुयाल	सुरेश चन्द्र सुयाल	02.07.1997	सुयाल कालोनी, बरेली रोड, तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० धूमखेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4196-4204 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 150

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लम्म 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मानसी	राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	26-07-2000	आदर्श कालोनी, खटीमा (डिग्री कालेज राड़), खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	GEN	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0 देवरी, खटीमा

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0 / 4205-15 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 14/08/24  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 151

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 308 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती भावना जोशी	नवीन पाण्डे	1/7/1993	पुष्प विहार गैस गौदाम रोड कुसुमखेड़ा, पो०ओ० हरिपुरनायक थाना मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN PM40	रा०प्रा०वि० उकरौली, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4216-26 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ड.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 152

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शीतल बिष्ट	विक्रम सिंह बिष्ट	12.05.1995	टनकपुर रोड, कुमोड़, पिथौरागढ़-262501	GEN	GEN PM40	रा0प्रा0वि0, खेड़ा, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4227-37 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नागत जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



आदेश सं०- 153

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनम	बृजमोहन सिंह बिष्ट	24-10-1997	ग्राम-क्याकी मल्ली, पो०ओ० शंकरपुर थाना धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल-246279	GEN	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० रत्नामडैया, बाजपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

पृ०सं० / 4238-48

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 154 / प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिधीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रवि जोशी	घनश्याम	1/11/1998	ओम कालोनी, दिवानी न्यायालय के सामने, खटीमा ऊधम सिंह नगर-262308	GEN	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0 मुड़िया थारु, खटीमा

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4249-59 प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 155

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सौम्या पावती	हरीश चन्द पावती	19-02-1999	वार्ड न03, राधा रेजिडेंसी कालोनी, किसानपुर किच्छा, ऊधम सिंह नगर-263148	SC	SC BACKLOG	प्रा0विद्यालय देवरिया, रूद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0सं0/ 4260-70

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 156

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सौरभ पन्त	ललित मोहन पन्त	21-12-1992	म०न०-7 गंगोत्री कालोनी, सितारगंज रोड, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	GEN	GEN OTSCI20	रा०प्रा०वि०वीकाघाट, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4271-81


प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 157

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-08/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	योगेश कुमार पाठक	मोहन चन्द्र पाठक	8/8/1993	प्रगतिशील कालोनी, भगवानपुर तल्ला, थाना मुखानी, इल्हानी नैनीताल-283139	GEN	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0 मटीहा, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4282-92 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वरथता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 158

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वैतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष उन्मूलित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रेखा रानी	बलवीर सिंह	16-12-1992	ग्राम-बड़ाखेड़ा दिनेशपुर रोड़ गदरपुर, ऊधम सिंह नगर-263152	OBC	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 सुखशातिनगर, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/4293-4303 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरां:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 159

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजय दत्त बेलवाल	देवीदत्त बेलवाल	4/5/1994	ग्राम-ज्वालापोखरी, पो0ओ0 दौलतपुर, चोरगलिया हल्द्वानी नैनीताल-263139	EWS	GEN OTART70	रा0प्रा0शि0 मझराठग्गू, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4304-14


प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 160

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य गर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	होशियार सिंह	जगत सिंह	3/9/1996	लेन न०4, गौजा जाली, विचली हल्द्वानी, थाना नवीन नण्डी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० केलाशपुरी, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०ड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ट्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4315-26 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सात्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- रथाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 161

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शावना चन्द	लक्ष्मण चन्द	10/6/1996	ग्राम बिचपुरी, पोआ० चकरपुर, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० सितारगंज द्वितीय, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4326-36 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 162

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्ताम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोहित पुजारी	चन्द शेखर पुजारी	20-11-1997	05 फ्लिटया, पो0 जिगांलीतोली, तह0 भनोली, धाना दन्या, अल्मोडा-263622	GEN	GEN OTART70	रा0प्रा0कि नज़ोला, खटीमा

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर


पृ0सं0/ 4337-47 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं-163

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रकाश चन्द्र कापड़ी	खिलानन्द कापड़ी	30-12-1995	ग्राम व पोस्ट-बिगरावाग, तह0 खटीना, ऊधम सिंह नगर-262308	GEN	GEN OTSCI20	रा0प्रा0वि0 दिवां, खटीमा

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का देतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0 / 4348-58 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 164 / प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195 / XXIV(1) / 2012 / 16 / 2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148 / XXIV(1) / 2018-06 / 2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035 / XXIV-A-1 / 2024-49375 / 2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145 / XXIV-A-1 / 2024-49375 / 2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक / प्रा०शि०-दो(2) / 785-2024 / 3718-21 / 2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्राची	मयंक जोशी	2/3/1996	वार्ड न००६ निकट श्रद्धा स्वीट्स हाउस, टनकपुर, चम्पावत-262309	GEN	GEN PM40	रा०प्रा०वि० हल्दी पचपेड़ा, खटीमा

शासनादेश सं० 1383 / XXIV-A-1 / 2020 / 18 / 2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02) / 419-2020 / 1326 / 2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं० / 4359-69 प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 6801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती इतिशा चौधरी	मयंक चौधरी	14-07-1987	प्रगति विहार, बाजपुर रोड, थाना आई0टी0आई0 कशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	OBC	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0महुवाखेडागंज, काशीपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0 / 4370-80

प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 166

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती पूजा चन्द	चन्द बहादुर चन्द	25-01-1992	चन्दनी बनबसा, बन्यावत-262310	OBC	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 हल्दी पचपेड़ा, खटीमा

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एंड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4381-90

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 167

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेबल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पवन कुमार	सोहन लाल	20-06-1996	शिव कालोनी खटीमा, थाना खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० तपेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०


ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4391-4401 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुनाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 168

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अचौहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं वैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्रतिभा	विनोद कुमार	15-01-1994	ग्राम-चंदेरी, पो० नौगवां टग्गू, थाना व तह० खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	OBC PM40	रा०प्रा०वि० लालपुर, रूद्रपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4402-12

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:...

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।

6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।

8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।

9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का गिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।

10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।

(ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।

(ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

(घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।

(ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।

(च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।

11. कार्यालय सुरक्षित पजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 169

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती मीता रानी	धर्मेन्द्र कुमार	10/8/1992	शांति कालानी वार्ड न016, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263153	OBC	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0संजयनगर प्रथम, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जटिलता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4413-23

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदरथापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अगियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 170

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भावना भट्ट	बालादत्त भट्ट	14-04-1998	दुर्गा कालोनी गली न05, भूरा रानी, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263153	GEN	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0मिलक, रूद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4424-34 प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अमिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अमिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अमिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अमियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

आदेश सं- 171

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आकाश पुण्डीर	रतन सिंह पुण्डीर	15-02-1995	वार्ड न08, नन्दा विहार कालोनी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262405	GEN	GEN ZBC40	रा0प्रा0वि0, सिसौना, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।


यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०ड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अपेक्षा तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4435-45 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सतीश चन्द्र मुरारी	राकेश चन्द्र मुरारी	1/7/1992	ग्राम- मोत्यूराज, पो0-कर्णकरायत, थाना-लोहाघाट चम्पावत-262524	EWS	GEN OTART70	रा0प्रा0वि हूलो, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4446-56 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 173

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन पन्त	हरीश चन्द्र पन्त	1/6/1994	ग्राम व पोस्ट- दानपुर, थाना रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर-263153	GEN	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० सितारगंज प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4457-67 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

आदेश सं०- 174

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दया सागर	हरी दत्त	1/7/1990	ग्राम-दन्डूड़ा, पो० क्वैराला, भिकियासैन, थाना सल्ट, अल्मोड़ा-263667	GEN	GEN OTART/70	रा०प्रा०वि० खुनसरा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4468-78


प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 175

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोहित कुमार	गोविन्द प्रसाद	15-11-1995	राधा कृष्ण कालोनी, तीनपानी, थाना-हल्द्वानी, धोलाखेड़ा, पोआ अर्जुनपुर, नैनीताल-263139	SC	SC PM40	रा०प्रा०वि० बेलखेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विद्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4479-89 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

आदेश सं० 176

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमाशु पोखरिया	पूरन चन्द्र पोखरिया	18-04-1995	मकान न० 106, त्रिलोकपुर दानी, नई आवादी, ग्राम सीतापुर, पो०किशनपुर, गोलापार, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN OTART70	रा०प्रा०वि० लामाखेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ० सं० / 4490-4501

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 177

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शुभम पन्त	मदन मोहन पन्त	25-06-1994	प्राईमरी स्कूल के पास, कंजाबाग खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262306	GEN	GEN OTART70	रा०प्रा०वि०पंचपेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4502-12

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 14/08/24  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 178

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्द्धाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती पुष्पा रानी	प्रदीप सिंह	02.08.1992	रांगम विहार फेस-1, गैस गोदाम रोड, फुसुमखेडा, पो0-हरिपुरनाथक, थाना मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	OBC	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 सितारगंज प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मिनता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4513-23 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 179

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुनोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीरज सिंह मेहरा	गुपाल सिंह मेहरा	28-04-1994	ग्राम-बजून, पोओ-खुर्पाताल, ब्लाक-भीमताल, थाना मल्लीताल, नैनीताल-263001	EWS	GEN ZBC40	रा०प्रा०वि० मुडियामनी, बाजपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4524-34 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अधर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जगपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 180

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक./प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोष्ठित गिरी	गहेश गिरी	14-08-1997	ग्राम-चौड़ी राय, पो०ओ० लोहाघाट, थाना लोहाघाट, घम्पावत-262524	OBC	GEN OTARI70	रा०प्रा०वि० सितारगंज प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4535-45 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।


कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 181

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-16/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राकेश सिंह	कंलाश सिंह	17-10-1988	मोहल्ला गुजरातियान, जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	SC	SC OTSCI20	रा0प्रा0कि सुल्तानपुर प्रथम, बाजपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4546-56 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अन्वर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अन्वर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अन्वर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अन्वर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 14/08/24  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 182

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धीरज कुमार कुशवाहा	रविन्द्र कुशवाहा	12/3/1994	ग्राम-खिलडिया, पो० खालीनहुवट, थाना अनकईया, तह० खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	OBC OTART70	रा०प्रा०वि० सितारगंज प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4557-67 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्न्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्न्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्न्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्न्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 14/08/24  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 183

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीति देवी	सुभाष चन्द	17-04-1994	ग्राम-सुनहेटी आलापुर, पो० इकबालपुर, थाना झवरेड़ा, हरिद्वार-247668	OBC	OBC PM40	रा०प्रा०वि०बरीराई, गदरपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एल सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4568-78

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तावत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 184

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोज अंसारी	मतलुब अंसारी	10/1/1996	जामा मस्जिद वार्ड न02 निकट युवराज पैलेस, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262405	OBC	GEN HIN15	रा0प्रा0वि0थारुतिसौर सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4579-89

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुगाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्बर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्बर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्बर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्बर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 185

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भावना गोरवाणी	भगवान गोरवानी	5/4/1993	ग्राम-आलादिर्दी, पो० नोगबानाथ, खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	OBC PM40	रा०प्रा०वि० सितारगंज प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मिनता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4590-4600

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निर्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 186

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री० शाहरुख	साबिर अली	3/3/1998	लाईन न० 18 आजाद नगर, धाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	OBC	OBC ENG15	रा0प्रा0वि0 सितारगंज द्वितीय, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4601-11

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 187

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती पूजा गोस्वामी	सत्यवीर सिंह चौधरी	14-09-1991	ग्राम व पोस्ट-खानपुर ब्रहमपुर, धान ब्लॉक-लक्सर हरिद्वार-247671	OBC	OBC OT5CI20	रा0प्रा0वि0 केलाखेड़ा, बाजपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4612-22 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रामाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 188

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विधि- कुमार	विनोद कुमार	4/2/1989	ग्राम व पोस्ट- मुंडलाना थाना नगलौर, ब्लाक-नारसन, हरिद्वार-247856	OBC	OBC OTART70	रा०प्रा०वि०रतनपुरी, गदरपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यर्थ देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मिनता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 4623-33 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:....





कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 189

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरविन्द कुमार	सोरी सिंह	9/10/1992	संगम कालोनी वार्ड न04, निकट डा0 हनीफ, मोहल्ला जुलाहान जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	OBC	OBC OTART70	रा0प्रा0वि0 बहरावजीर, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/ 4634-44 प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 190

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक कुमार गौतम	राम भरोसे लाल	15-01-1991	ग्राम मजराविधि (खानपुर पश्चिम) पोस्ट-कैलाखेड़ा, थाना गदरपुर, ऊधम सिंह नगर-263150	SC	SC OTART70	रा०प्रा०वि० बहरावजीर, गदरपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूननियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4645-55 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

क्रमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. दित्त अधिकारी, प्रा.प्रि. ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्पर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कराने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्पर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्पर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्पर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रामाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी दिनांक में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.प्रि.  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं० 191

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय घयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास सिंह	मुल्की सिंह	25-05-1992	ग्राम ओदली, पो०ओ० लामाखंडा, तह०सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262405	ST	ST OTART70	रा०प्रा०वि० पिण्डारी, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु घयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं० / 4656-66 प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का गिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 08 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल नियास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 192

/ प्रा०शि० / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिवाजी	बबलू कुमार	24-01-2000	होलीबॉक, ग्राम व पोस्ट-धनपुरा, धाना पथरी, जिला हरिद्वार-249404	OBC	OBC OTART70	रा०प्रा०वि० कुलवंत नगर प्रथम, गदरपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अधवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर


पृ०सं०/ 4667-77 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विलत अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्थर्षी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्थर्षी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्थर्षी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्थर्षी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 193

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अग्रोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजय प्रकाश जोशी	बिशन दत्त जोशी	19-09-1993	ग्राम-टुनकाण्डे, पो0 पुलहिन्डोला, धाना कोतवाली पंचेश्वर जनपद चम्पावत-262524	EWS	EWS OTART70	रा0प्रा0वि0 खेमपुर, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माहों के एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0सं0/ 4678-88

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 194

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धीरेन्द्र सिंह	गुपाल सिंह बनकोटी	8/7/1986	पूरन विहार, फेज-2, हल्द्वीखरा दरम्बाल, जी0आर0सी0 रोड फूलचौड, पो0ओ0 आनन्दपुर, थाना ट्रांसपोर्ट नगर, हल्हानी, नैनीताल-263139	GEN	GEN OTART70	रा0प्रा0वि0 शांतिपुरी प्रथम, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सैतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4689-99

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तायत

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अग्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अग्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अग्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- रथाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संप्रदाय सेना की आभित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 195

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गिष्पुन कुमार	हरपाल सिंह	2/3/1992	नगर पंचायत महुवाडावरा, पो0 महुवाडावरा थाना व तह0 जसपुर, ऊधम सिंह नगर-244712	OBC	OBC PM40	रा0प्रा0वि0 कनीरा, बाजपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विषर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पु0सं0/4700-10

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 196

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 2080336/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल 06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष विभिन्नशिक्षित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्ट्राम् 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पञ्चावार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आलोक कुमार	सजीत कुमार	5/3/1995	ग्राम सरठंडी शाहजहाँपुर, पी0 व धाना भगवानपुर, हरिद्वार-247661	OBC	OBC OTSCI20	रा0प्रा0वि0 भदईपुरा, रूढ़पुर

शासनादेश सं0 1393/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०ड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अध्यापक को पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पूरर सं0 / 4711-21

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निर्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०टी०आई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मन्त्रालय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 197

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 26.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.06.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 399 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 सेबल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निर्मातित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरन्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित शा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गांधर चन्द	पूरन चन्द बेलवाल	19-02-1998	ग्राम वल्लभ, पी0 उदेपुर, डि0ख0 स्याल्दे, थाना देहाट, अल्मोडा-283661	EWS	EWS OTART70	शा0प्रा0वि0 भदईपुर, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनि्युक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4722-32

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि निर्मातित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०ओ०ए०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 198

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन वैशिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राहुल धनगर	पूरन सिंह	7/8/1999	ग्राम-बधेलेवाला, पी0 गहुवाखेड़ा गंज, काशीपुर, जनपद-ऊधम सिंह नगर-244713	SC	SC PM40	प्रा0प्रा0वि0रागजीवनपुर, काशीपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0सं0/ 4733-43

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, जयपुर सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. जिला अधिकारी, प्रशिक्षण जयपुर सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उच्च शिक्षा अधिकारी जयपुर जयपुर सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अध्येर्षी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलावट उनके मूल अभिलेखों से करवाए हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करने तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र स्थापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्थ को प्रेषित करें। अध्येर्षी से संग्राहे गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अध्येर्षी को इस आशय से प्रेषित की परन्तुपि शिक्षाजय ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अपनी उपस्थितिदो प्रतिमां व निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त शिक्षाजय ने कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य विहितसाधिकारी/मुख्य विहितसा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्वता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अध्येर्षी की राजपत्रित अधिकारियों से खरिद प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संघान सेवानी अधिकार/मूलपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) मानवीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का राज्य पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित धरिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण  
 जयपुर सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 199

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राक्कानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सागान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रजनी राना	पूरन सिंह	15-03-1993	ग्राम-बलखेडा पो0 नानकमल्ला, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर-262311	ST	ST ZBC40	रा0प्रा0वि0 गौरीखेड़ा, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 गहीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पृ0स0/ 4744-54 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 200

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष कुमार	गंगा राम सिंह	15-07-1989	ग्राम बन्दाखेडी, पौ0-नन्हेडा, अनन्तापुर, थाना रुडकी, हरिद्वार-247668	SC	SC ENG15	रा0प्रा0वि0 भदईपुरा, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 4755-65 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाल्ल मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अर्ग्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अर्ग्यर्थी से मंगायें गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अर्ग्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अर्ग्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 201

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल 06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नांकित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मगवान सिंह	केशर सिंह	20-11-1993	ग्राम-लाटूघार, पो0ओ0 रागडा तल्सा, गैरसैण, थाना मेहलचौरी, चमौली	EWS	EWS ENG15	रा0प्रा0वि0 खेड़ा, रूद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पू0रा0/ 4766-77

प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ नण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 202

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रिया आरव	रामपाल सिंह	30-08-1996	ग्राम-बानूसी, पो0 अनकट, तह0 खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262306	SC	SC ZBC40	रा0प्रा0वि0 दहला, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 4778-88

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एरा0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नागित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अन्यर्धी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अन्यर्धी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अन्यर्धी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अन्यर्धी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 203

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**:नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अग्निव सिंह	सरयन सिंह	2/11/1996	ग्राम-गौरीखेडा, पो0आ0-सितारगज, ऊधम सिंह नगर-262405	ST	ST OTART70	रा0प्रा0वि0 रम्पुरा, रूद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0रा0/ 4789-99

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुनाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 204

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0वि0 विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चुनमुन	कुलदीप कुमार	1/8/1999	ग्राम व पोस्ट-खेडाजट, थाना-मगलौर, तह0 रुडकी, हरिद्वार-247670	SC	SC OTSC120	रा0प्रा0वि0 रमपुर, रुद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी सगय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पू0रा0/ 4800-10

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 14/08/24  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 205

/ प्रा0शि0 / नियुक्ति-309 / 2024 / 2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा० प्रा० वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजीता	राधे श्याम	7/1/1998	सिसैया मेलाघाट, पो० खालीमहुवट, थाना इनकईया तह० खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	SC	SC ZBC40	रा० प्रा० वि० सितारगंज, प्रथम, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर प्रथम फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

प्रा०शि०/ 4811-21

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं० 206

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्तकारी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 286 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुबी	रोहिताश कुमार	5/1/1994	ग्राम व पोस्ट- भलस्वागाज तह० मगवानपुर, थाना-अबरेडा, हरिद्वार-247868	SC	SC OTSCI20	रा०प्रा०वि० बन्नाखेड़ा, बाजपुर

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अधिका फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

प्रा०शि०/ 4822-32

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा-अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 207

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती मावना मोरवाणी	भूपेन्द्र नाथ	7/8/1996	ग्राम व पोस्ट-भूड़ा किशनी, थाना खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	OBC ENG15	रा०प्रा०वि० पचपेड़ा, सितारगंज

शासनादेश रा० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पूरा रा० / 4833-43  
प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

- 1 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकाखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 08 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 208

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 शासनादेश सं0 196/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोस्तरीय कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजीव कुमार	राम कुमार	26.01.1994	ग्राम व पोस्ट-रायसी, तह व थाना लक्सर, हरिद्वार-247671	SC	SC PM40	रा0प्रा0विन्दीयादेवी, कसीपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

प्रा0सो/ 4844-54

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एन०सी०टी०ई० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमस...



5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करे। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करे।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करे तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करे।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 209

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209/35/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीना	बन्दगोपाल	13.02.1996	म०न०(नया 964 पुराना 491) सैनिक कालोनी, रुड़की, थाना गंगनहर, हरिद्वार-247667	SC	SC ZBC40	रा०प्रा०वि०झाड़ी, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनिर्भूत शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

प्रा०शि०/ 4855-65

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 210

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नांकित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री0 रिजवान	लहीक अहमद	5/5/1996	ग्राम व पोस्ट जगौर, तह0खटीमा, ऊधम सिंह नगर-262308	OBC	OBC OTART70	रा0प्रा0वि नवदिया, खटीमा

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4866-76 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

आदेश सं: 211

/प्रशिक्षण/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमानुसारी 2012, शासनादेश सं/ 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1146/XXIV(1)/2018-08/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्राथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन कृषिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं/ 200030/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं/ 214146/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रक्रियाओं के अनुसार निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रशिक्षण-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड की कार्यलय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जगजित ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के संबंध निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय सचन समिति के अनुमोदनपत्रांत उनके नाम के सम्पूर्ण इकाई 8 में अंकित सं/2024/विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितांत अस्थायी रूप से शिक्षा पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रम-सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगजित राठी	वीर सिंह राठी	11/3/1962	ग्राम मोहम्मदनूर बाण्डा, पो 057010/देहरादून 2480 रुड़की थाना विशालकालियार हरिद्वार-247607	OBC	OBC OTART70	संशोधित शिवालय नकीन, शिवारंगज

शासनादेश सं/ 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रशिक्षण-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शिक्षा पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी.एड.) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा सम्पन्न प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संयुक्त पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अथवा तक कार्यभार ग्रहण न करने की दृष्टि में नियुक्ति रद्द निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर उपरोक्त पत्रों पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण  
ऊधम सिंह नगर

पुंरक/प्रशिक्षण/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिज्ञा-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 अपर निर्देशक एन.सी.टी.ई. उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा...

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं० - 212

/प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरांत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरेश चन्द जोशी	नरोत्तम जोशी	18-05-1984	ग्राम-बचकोट, पो० तामली, तह० चम्पावत, जनपद-चम्पावत	GEN	GEN HIN15	रा०प्रा०वि०गोविन्दनगर बांध, सितारगंज

शासनादेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 4888-98  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमार जं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्राशिक्ष ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्प्ली के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की वो पत्रावली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्प्ली से मंगाने वाले समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्प्ली को इस आशय से प्रेषित की परस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति/प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य विकित्साधिकारी/मुख्य विकित्सा अध्येक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्प्ली दो राजपत्रित अधिकारियों से वरिष्ठ प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/मूल शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रतियाँ।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न बलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का सपथ पत्र/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित फाइल।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशिक्ष  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 213

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमलेश सिंह	दगल सिंह	28-06-1995	ग्राम-त्वातोली, पौ० सानीउड़यार थाना-काण्डा, बागेश्वर-263631	OBC	OBC ENG15	रा०प्रा०वि० सावेपुर, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर प्राथमिक फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृ०रा०/ 4899-4909 प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 214

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/18/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अयोहरस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कपिल	लीला राम टम्टा	31-12-1992	ग्राम-जूनस्टेट, भीमताल जनपद-नैनीताल-283138	SC	SC OTART70	रा०प्रा०शि० पिपलिया, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पु०रा०/ 4910-20


प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अग्र्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अग्र्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अग्र्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश नं- 215

/ प्र०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 जनवरी, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनदेश सं० 136/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिवृत्त संख्या-1148/XXIV(1)/2016-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बालिक शिक्षा अनुदान-1 शासनदेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनदेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-48575/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्र०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 58 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा-1 में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य शर्तों के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-16 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के तम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के संशोधित निर्देशों/अभ्यर्थियों के अनुरोध चयन समिति के अनुमोदनानुरोध उनके नाम के समुच्च स्तम्भ 8 में अंकित छात्रावधिपालय में सहायक अध्यापक के पद पर 12 वर्ष के परिदेसाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रवि रण्ड सिंह	रघुराज सिंह	23-12-1985	बी०-164, नई मनुका कालोनी डाक पत्थर, धाना विकासनगर, जनपद देहरादून-248126	OBC	OBC HIN15	छात्रावधि अल्खदेवी, बदरपुर

शासनदेश सं० 1363/XXIV-A-1/2020/16/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्र०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरी जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यव देव नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा सास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक संतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नलिखित पाये जाने पर अथवा कमी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरिन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्र०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पृष्ठ नं०/ 4921-23 प्र०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उत्सवत्  
प्रतिवेदि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक (एन.सी.टी.ई.अकादमी) उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा...

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्बर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्बर्थी से भेगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्बर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्बर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न बलादे जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश क्र- 216

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209015/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ B में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिव्या	नवीन चन्द पाण्डे	20-10-1995	गोविन्द निवास, नवाबी रोड, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी कोतवाली, बस अड्डे के पास हल्द्वानी नैनीताल	EWS	EWS OTART70	रा0प्रा0वि0 शांतिपुरी द्वितीय, रूद्रपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्यूनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही ली जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ 4933-43

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तावत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करले तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 217

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2015-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209/05/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्ता विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयन्ती राणा	नवीन सिंह	3/4/1997	ग्राम-गढीपट्टी, नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर	ST	ST PM40	रा0प्रा0वि0 बंगाली कालोनी, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डो) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा कर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

पूरसं0/ 4944-54 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 218

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अवोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक सं० दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 288 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 सेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुमित कुमार	सुखवीर सिंह	24.06.1994	ग्राम-सुनहटी आलापुर, पो० इकबालपुर, थाना डवरेटा, हरिद्वार-247688	SC	SC OTART70	रा०प्रा०वि० महेशपुर, बाजपुर

शासनादेश रा० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

प्रा०शि०/ 4955-65


प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:....

5. प्रचार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान् प्रारम्भ विहित नगर।
6. प्रतिनिधि नामित शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भ विहित नगर।
7. सम्बन्धित सोसायिटीकारी।
8. शिक्षा अधिकारी प्रशासिक प्रारम्भ विहित नगर।
9. सम्बन्धित उच्च शिक्षा अधिकारी उपर्युक्त प्रारम्भ विहित नगर को हुन प्रारम्भ ले प्रेषित हो सम्बन्धित अगण्टी ले सैकिक र अन्य प्रमाण पढी का विद्यालय उनको युक्त अभिलेखी ले कले हुन सम्बन्धित हो दो पत्रवाणी लेखन कले ले अन्य सैकिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सम्पादन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित गर्ने। अगण्टी ले कले ले लेखन अभिलेख उनको पत्रवाणी ले सुरक्षित गठन सुनिश्चित गर्ने।
10. सम्बन्धित अगण्टी को हुन प्रारम्भ ले प्रेषित हो परम्परित विद्यालय ले कार्यालय प्रदान कले ले पूर्व सम्बन्धित विद्यालयबाट ले उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय ले अपनी उपस्थितिमा प्रिन्टि ले निम्न अभिलेखी ले साथ टेन सुनिश्चित गर्ने तथा उनको अनुमति ले उपर्युक्त विद्यालय ले कार्यालय प्रदान गर्ने।
  - (क) युवा चिकित्साधिकारी/युवा चिकित्सा अधिकारक हुन निर्णय सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
  - (ख) अगण्टी दो सार्वजनिक अधिकारीको ले खरिद प्रमाण पत्र जो 25 पाठ ले पूर्व का न हो।
  - (ग) सम्बन्धित सैकिक प्रशिक्षण एवं अन्य उपर्युक्त प्रमाण पत्र (जैसे- स्नाई/युवा विद्यालय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप ले कले ले विद्यालय प्रमाण पत्र/सहायक संस्था सोसायि अधिकार/युवा सैकिक जति जो लागू हो) को दिनांक सहित सम्बन्धित प्रिन्टि।
  - (घ) विद्यार्थी होने को स्थिति ले एक हो पानी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अतिरिक्त होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) सामन्त विद्यालय हुन पत्रिका न किचे जाने तथा किली प्रकाश का अभिलेखन न कले ले जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किली हो विद्यालय ले सरकारी सेवा ले न होने का प्रमाण पत्र/सामन्त सेवा ले होने पर सम्बन्धित विद्यालय हुन स्वीकृत प्रमाण पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।



744081241  
 शिक्षा विभाग अधिकारी प्रशासिक  
 प्रारम्भ विहित नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 219

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209036/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा०प्रा०विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शु० उगा	लाल सिंह	5/7/1994	ग्राम-लखनौता, पो० मखदुमपुर, रुडकी, थाना-झबरेडा, हरिद्वार-247665	SC	SC OTART70	रा०प्रा०वि० गोविन्दपुर, सितारगंज

शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गिन्ता पाये जाने पर अधिकांश फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर

प्रा०शि०/ 4966-77


प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:\_\_\_

5. प्रचारार्थ, विना किंवा एई प्रसिद्धता संरक्षण, प्रथम सिद्ध नगर।
6. प्रसिद्धि, नगिन विना अधिकारी, प्रथम सिद्ध नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. विना अधिकारी, प्रसिद्धि, प्रथम सिद्ध नगर।
9. सम्बन्धित एन किंवा अधिकारी अथवा प्रथम सिद्ध नगर को इस प्रकार से प्रसिद्ध की सम्बन्धित अणुधर्मों से संबंधित न अन्य प्रमाण पत्रों का विना एनके मूल अधिकारों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रकारी संभव करते तथा संबंधित एन अन्य प्रमाण पत्र संरक्षण हेतु सम्बन्धित कोई/संख्या को प्रसिद्ध करें। अणुधर्मों से बनाने एवं संरक्षण अधिकार एनकी पत्रकारी में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अणुधर्मों को इस प्रकार से प्रसिद्ध की परम्परागत विचारधारा में कार्यवाही ठहराने से पूर्व सम्बन्धित विकास/अनुभव के एन किंवा अधिकारी कार्यवाही में अपनी उपस्थिति/प्रतिष्ठा में निम्न अधिकारों से साथ देना सुनिश्चित करें तथा एनकी अनुमति से उचित विचारधारा में कार्यवाही ठहराने करें।
  - (क) मूल अधिकार/अधिकारी/मूल अधिकार अधिकार इस निर्णित संख्या प्रमाण पत्र।
  - (ख) अणुधर्म दो सांख्यिक अधिकारियों से तय प्रमाण पत्र जो 56 तक से पूर्व का न हो।
  - (ग) संरक्षण संबंधित प्रसिद्धता एन अन्य कार्यवाही प्रमाण पत्र (जैसे- कोई/मूल विचार प्रमाण पत्र, यदि प्रमाण पत्र अधिकार का न संरक्षण, विचारधारा प्रमाण पत्र/संख्या संरक्षण संख्या अधिकार/मूलधर्म संबंधित यदि जो लागू हो) की विचारधारा संरक्षण प्रसिद्ध प्रसिद्ध।
  - (घ) अधिकारिता होने की स्थिति में एन ही एन/यदि होने सम्बन्धी संरक्षण पत्र अथवा अधिकारिता होने का प्रमाण पत्र।
  - (ङ) सामग्री/संरक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज न किये जाने तथा किसी प्रकार का अधिकार न किये जाने सम्बन्धी संरक्षण पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में संरक्षण सेवा में न होने का प्रमाण पत्र/संरक्षण सेवा में होने का सम्बन्धित विभाग द्वारा कीर्तित प्रमाण पत्र।
11. कार्यवाही सुरक्षित रखिए।

  
 विना किंवा अधिकारी प्रसिद्धि,  
 प्रथम सिद्ध नगर

आदेश सं- 220

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक 14 जनवरी 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड मण्डलीय प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 (सं. XXIV(1)/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012) उत्तराखण्ड सामान्य शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-118/2018/13/2018-19/2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 एवं संशोधनों उत्तराखण्ड सामान्य शिक्षा सेवा अधिसूचना संख्या-XXIV-A-1/2024-49275/2023 दिनांक 08.08.2024 तथा संशोधनों की संख्या-XXIV-A-1/2024-49275/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को कार्यालय पत्रक/प्रा0शि0-07(2)/185-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024के अनुसार जे। जयसिंगजी काविका के पत्रक 09 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रक 108 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 184 पदों (सामान्य स्तर) के 268 एच बैकलॉग के 43 पदों पर उदरगण (अवकाश-12वर्ष) केवल 08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के रूप में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन एवं प्रवेशित किये गये थे। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक संख्या 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जे। जयसिंगजी काविका निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनप्राप्त उनके नाम के समूह संख्या 8 में अर्थात् उदरगणिका में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर तैयार अभ्यर्थी रूप से रिकॉर्ड में जो नियुक्ति पत्रक की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पदनाम का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	अवधि/विशेषता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांगु मट्ट	प्रकाश कन्द मट्ट	25-03-1998	ग्राम अमौली लो। नूलाकोट तहसी व थाना पाटी चन्नावत-262581	EWS	EWS NAW15	प्राथमिक शिक्षा/सहायक शिक्षक

साशनादेश सं 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा जयसिंगजी काविका पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उदरगणना सुगम केंद्र में नियुक्तप्राप्त पदों की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का नार्मल एवं टैक्स नहीं दिया। यह नियुक्ति तैयार अस्थायी है किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीयक डिप्लोमा (डीएएड) किन्तु इस प्रकार काता। सं 1। तब प्रथम को शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा तयप्राप्त प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निश्चित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के तदनुसार जे। जयसिंगजी काविका पाये जाने पर उदरगण कर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित को तैयार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बंद में निर्धारित की जायेगी।

(हरीश चतुर्वेदी मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)  
ऊधम सिंह नगर

पु0स0/ **4978-88** प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत  
प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक एम0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर।

ऊधम



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्बर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्बर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्बर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्बर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 221

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/18/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 208036/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-सी/21/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-38 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लॉट 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	शिक्षा/पंजी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
	राम कुमार	मोरी संकर	9/10/1990	ग्राम-हरिपुर शिवदल, पो0ओ0 अर्जुनपुर, थाना हल्द्वानी, नैनीताल-263139	SC	SC HIN15	रा0प्रा0वि रंजीतनगर, सितारगंज

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-सी (32)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवीनदुका शिक्षक का नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यदि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0ए0ड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा में 8 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की वजह से नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता प्राप्त होने पर प्रथम कार्यवाही पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पुनः/ 4989-99


प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

अतिरिक्त सूचनाओं को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, एन.सी.टी.ई. उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सहायक जिला निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:\_\_\_

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 222

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य मर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-08 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिदीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावार का पता	श्रेणी	व्यक्ति श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोहित कुमार	बालेस्वर प्रसाद	4/7/1994	ग्राम-मोलना, डा0 इकबालपुर, थाना झबरेडा, हरिद्वार-247668	SC	SC OTART70	रा0प्रा0विद्यालय विद्यपुरी, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। चयनित शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में निम्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 5000-10

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस्सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सहायकी अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश:.....

5. प्रचारार्थ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्राशिशो ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से भगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी प्राशिशो  
 ऊधम सिंह नगर

उत्तराखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तर सिंह नगर।

E-Mail: denbarsicusnagar@yahoo.in

क्रमांक- 223

/ प्रा.शिक्षा./नि.शु.क-358/2024/2024-25

दिनांक- 14 जनवरी, 2024

नियुक्ति आदेश।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अवकाश) सेवा नियमावली 2012, सामनादेश सं. 196/ KAN/1/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड सामन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिनियम संख्या-1146/2014/2018-19/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड सामन शिक्षा अनुभाग-1, सामनादेश सं. 20800/2014-1/2024-2025 दिनांक 28.05.2024 तथा सामनादेश सं. 24746/2014-1/2024-2025 दिनांक 28.05.2024 में दिए गये प्रविधानों से अनुयाय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून से सामनादेश सं. 1308/2024 दिनांक 11.08.2024 तथा संशोधित सं. 105 दिनांक 11.11.2024 से द्वारा अन्वय उत्तर सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 358 पदों (सामान्य स्तर) के 268 एच कैडरों में 43 पदों पर वेतनमान 35400-112600 संकेत-35 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अर्जियों के द्वारा अर्जों पर अन्वयित किए गए थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून से सं. 887 दिनांक 11.08.2024 में दिए गये निर्देशों के अनुयायन में उक्त विज्ञापित के सात नि-अर्जियों (अर्जियों) को अन्वयित करने समिति से अनुयायनानुसार इनके नाम से सम्पूर्ण सूचना 8 में उचित गणनाविधानों में सामान्य अन्वयित के 12 में 12 पदों के योग्यताकारण पर विचार अवश्य ही कर के शिक्षा पर के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अर्जियों का क्रम	शिक्षा/पद का क्रम	अवकाश संकेत	प्रत्याश का नाम	वर्ग	अर्जित श्रेणी/विषय	अर्जित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	887	अवकाश सं. 105	12/5/358	डॉ. सुनील कुमार शर्मा पिता: राजेश कुमार शर्मा पता- 240017	BC	SC OTABTAS	राजकीय कुतबपुर मठपुर

सामनादेश सं. 196/ KAN-1/2012/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2012 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून से सं. 102/418-2024/108/2024-25 दिनांक 21-01-2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शिक्षा पदों को भर करने हेतु अन्वय प्रक्रिया में अर्जित होने वाले अर्जियों को प्रथम नियुक्ति पर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में नियमानुसार प्रदान की गयी है। अन्वयित शिक्षक का नियुक्ति विधानों में कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु किसी भी प्रकार का नर्स अथवा टैक नहीं होगा। यह नियुक्ति विधान अन्वयित है। किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अवधि एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्ति विधानों को इनके अन्वयित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यवाही प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।

यदि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी.एड.) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए अयोग्यता के नाम में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के दो वर्षों के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मन्वय प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 4 महीने का एक वर्ष काटकर प्रारंभ (किन्तु किसी अवकाशक रूप से पूरा करना होगा) निर्धारित अवधि तक कार्यवाही प्रारंभ न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में किराया सारे जाने पर अन्वयित नहीं सारे जाने पर अर्जियों का अन्वयित हटकाव निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विषय निरन्तरानुसार कार्यवाही की जायेगी। अर्जित अर्जियों की परम्परागत प्रकृति बाद में निर्धारित की जायेगी।

(उत्तर सिंह नगर शिक्षा)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शिक्षा)  
उत्तर सिंह नगर

सूचना/ 5011-21 प्रा.शिक्षा./नि.शु.क-358/2024/2024-25 दिनांक-उत्तराखण्ड

- प्रति-श्री. निरन्तरानुसार को सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. जूनियर निदेशक (एन.सी.टी.ई.आधारित), उत्तराखण्ड, देहरादून।
  3. सहायक जूनियर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, सुनाई मण्डल, देहरादून।
  4. जूनियर शिक्षा अधिकारी, उत्तर सिंह नगर।

क्रमांक-...

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करके तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से संग्राह्य गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से खरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व शैक्षिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 224

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लक्ष्मण सिंह	राज कुमार	10/7/1980	ग्राम ब पोस्ट- प्रतापपुर, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर-244713	GEN	GEN ENG15	रा0प्रा0वि0 श्यामनगर, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सौ पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 5022-32

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एरा0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कनश.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, जयम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्राणिक जयम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद जयम सिंह नगर को इस आदेश से प्रेषित की सम्बन्धित अन्वर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करते तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अन्वर्थी से मांगे गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अन्वर्थी को इस आदेश से प्रेषित की परम्बापित विद्यालय में कार्यमात्र ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितियों प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यमात्र ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारक द्वारा निर्गत सत्यप्रता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अन्वर्थी दो राजपत्रित अधिकात्रियों से अलिखित प्रमाण पत्र जो 16 मह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्टाई/मूल नियम प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/त्यतजता संग्राम सेनानी आभित/सुतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की विनाक सहित सत्यापित प्रति।
  - (घ) अविवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा अर्पित न किये जाने तथा किलो प्रकार का अभियोग्यता न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शास्कीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राणिक  
 जयम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश संख्या

225

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्रावर का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हेम चन्द	सुरेश चन्द	6/10/1996	वार्ड न0 4 आवासीय कालोनी, रा0ड0का0गदरपुर, ऊधम सिंह नगर-263152	SC	SC OTART70	रा0प्रा0वि0 कुलबन्तनगर प्रथम, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भर जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मिन्यता पाये जाने पर अध्यापक फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेंद्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 5033-43 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्पर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्पर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्पर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्पर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं. 226

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012 उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209030/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 08.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरिन्द कुमार आर्य	दुरानन्द आर्य	25-07-1990	ग्राम व पोस्ट-सोनी, थाना-रानीखेत अल्मोड़ा-263663	SC	SC HIN15	रा0प्रा0वि0 गिरधरनगर, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग ध्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा। से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 नहीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरिन्द कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

पूररग/ 5044-54 प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 गण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा:.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अम्पर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अनिलेखों से करतें हुए सम्बन्धित की दो पत्रवाली तैयार करतें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अम्पर्थी से मंगायें गये समस्त अनिलेख उनकी पत्रवाली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अम्पर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यनार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अनिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यनार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अम्पर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अनियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं 217

/प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(A)/2012/16/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2019-08/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (प्रथम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209/XXIV(A)-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.08.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र सं0 प्रा0शि0-टी(2)/788-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं0 28/17-1/10136/2024 तथा संशोधित पत्र सं0 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 268 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 सेक्टर 16 के नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्तिगत अभ्यर्थियों की जनपदीय भ्रमण समिति के अनुमोदनपत्रांत उनके नाम के सम्मुख स्लॉम 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवर्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	व्ययित श्रेणी/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरुण कौशिक	दिनेश कौशिक	26-03-1997	निकट सरकारी अस्पताल, जसपुर, ऊधम सिंह नगर।	EWS	EWS 28C40	रा0प्रा0कि महेशपुर, बाजपुर

शासनादेश सं0 1363/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 प्रा0शि0-टी (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। न्ययनियुक्ति शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्ति शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०ए०डि०) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अध्यापक को पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्  
प्रा0शि0 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. माध्यमिक अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमश-

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रो०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे— स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अमियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं- 228

/ प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञापित के कम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राधार का पता	श्रेणी	चयनित श्रेणी/विषय	आवटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महेश कुमार	घासीराम	10/5/1994	ग्राम रामनगरवन, पो0थ0 तह0जसपुर, थाना जसपुर ऊधम सिंह नगर-244712	SC	PH BACKLOG	रा0प्रा0वि0 नवीन कूल्हा, गदरपुर

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा0शि0-दो (02)/419-2020/1328/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एड0) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

ऊधम सिंह नगर

प्रा0शि0/ 5066-76

प्रा0शि0/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक ए0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमशः.....



5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से घरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हो) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पत्रिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

कार्यालय संख्या- 229

/प्राशिक्ष/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 14 अगस्त, 2024

**नियुक्ति आदेश:**

संलग्नक राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं0 195/2012/18/2018 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2019-20/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं0 214145/XXIV-A-1/2024-25/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय (प्राशिक्ष-गौठा) /785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से संख्या 02 दिनांक 10.08.2024 तथा संशोधित पत्र सं0 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक 219 पदों (साधारण वर्गों के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 के अन्तर्गत नियुक्ति के काम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन सं0 संख्या 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञापित के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्लाम्म 8 में अंकित रा0प्रा0विद्यालय में सहायक अध्यापक 8 पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से रिक्त पद के प्रति नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	श्रेणी	ध्वनि संकेत/विषय	आवृत्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ऊधु मन्तू मन्तवडी	दीपान सिंह मन्तवडी	10/2005	काली कुवा, काफलीनैर, काफली पो, काफलीनैर, बनेश्वर-253628	GEN	PH BACKLOG	रा0प्रा0वि गौठा, सितारगंज

शासनादेश सं0 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून सं0 संख्या प्राशिक्ष-गौठा (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में अयमित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की जाएगी। नवनिर्वाह शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह निर्देशक विभाग अध्यापक से किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवृत्त विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

यदि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा (डी०ए०डी०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में B रहने का एक संतुष्ट पाठ्यक्रम (बिजु कॉर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अध्यापक को सूचित किया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विधानानुसार कार्रवाई की जायेगी। अयमित अभ्यर्थियों की चरत्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशिक्ष  
ऊधम सिंह नगर

संख्या/प्राशिक्ष/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक-उक्तपत्र

- प्रतिनिधि/अभ्यर्थी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. संलग्नक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. जिला निदेशक एसासी/ई0प्राशिक्ष/देहरादून।
  3. जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
  4. जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

कमरा.....

5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
  - (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
  - (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
  - (ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
  - (घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
  - (ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
  - (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
 ऊधम सिंह नगर

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश सं०- 243

/ प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25

दिनांक- 23 अगस्त, 2024

:नियुक्ति संशोधन आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/XXIV(1)/2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 शासनादेश सं० 209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06.05.2024 तथा शासनादेश सं० 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29.05.2024 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/765-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के अनुपालन में अघोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: 59 दिनांक 10.06.2024 तथा संशोधित पत्रांक 103 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 309 पदों (सामान्य भर्ती के 266 एवं बैकलॉग के 43 पद) पर वेतनमान 35400-112400 लेवल-06 में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 8801 दिनांक 01.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष इस कार्यालय द्वारा नियुक्ति आदेश संख्या: 146 से 219 तक दिनांक 14 अगस्त 2024 को निर्गत किये गये थे, जिसमें प्रतिलिपि के क्रमांक: 10(च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र, के स्थान पर "किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस०एस०/2024, 1483/एस०एस०/2024, 1484/एस०एस०/2024 एवं अन्य" के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आंशिक संशोधन किया जाता है, शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
ऊधम सिंह नगर

पू०सं०/ 5366-75

प्रा०शि०/नियुक्ति-309/2024/2024-25 दिनांक- उक्तवत्


प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
6. प्रतिनिधि, नामित जिला अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अनिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थितिदो प्रतियों में निम्न अनिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।  
(क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।  
(ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।  
(ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे- स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/मृतपूर्व सैनिक आदि जो लागू हों) की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।  
(घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।

(ड) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।

(घ) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का राज्य पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या- 1481/एस0एस0/2024, 1483/एस0एस0/2024, 1484/एस0एस0/2024 एवं अन्य के अनुपालन में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

11. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला सिविल अधिकारी, प्रशासि  
ऊधम सिंह नगर